

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आई.डी./ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/विधिक/एसडीआर/खण्ड-II/2018

दिनांक- 18 मई, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. महाराष्ट्र
2. नागालैंड
3. उत्तर प्रदेश
4. बिहार
5. झारखण्ड
6. केरल
7. मेघालय
8. पंजाब
9. उत्तराखण्ड
10. पश्चिम बंगाल

विषय: महाराष्ट्र, नागालैंड, उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा तथा बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा के उप निर्वाचित, 2018-निर्वाचिकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश-तत्संबंधी।

महोदय,

लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के दिनांक 03-05-2018 को अधिसूचित महाराष्ट्र में 11-भन्डारा-गोंदिया एवं 22-पालघर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 285-पलुस कडेगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड में नागालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 24-नूरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार में 50-जोकिहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 34-गोमिया एवं 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 110-चेनगान्हूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मेघालय में 53-आमपाती (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में 32-शाहकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखण्ड में 05-थराली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 155-महेशटाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान उप निर्वाचितों के सम्बन्ध में निर्वाचिकों की पहचान करने के बारे में आयोग का दिनांक 18 मई, 2018 का आदेश इसके साथ संलग्न करने का मुझे निदेश हुआ है।

2. आयोग ने यह निदेश दिया है कि महाराष्ट्र में 11-भन्डारा-गोंदिया एवं 22-पालघर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 285-पलुस कडेगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड में नागालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 24-नूरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार में 50-जोकिहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 34-गोमिया एवं 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 110-चेनगान्हूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मेघालय में 53-आमपाती (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में 32-शाहकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखण्ड में 05-थराली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 155-महेशटाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान उप निर्वाचितों में सभी निर्वाचिकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना है। जो निर्वाचिक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

3. एपिक के मामले में, उसकी प्रविष्टियों की मामूली असंगतियां नजरअंदाज कर दी जानी चाहिए बशर्ते एपिक द्वारा निर्वाचिक की पहचान स्थापित की जा सके। अगर निर्वाचिक कोई ऐसा निर्वाचिक फोटो पहचान कार्ड प्रस्तुत करते हैं जो दूसरे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचिक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचिक नामावली में मौजूद हो जहां निर्वाचिक मतदान करने उपस्थित हुए हैं। अगर फोटोग्राफ, आदि के बेमेल होने की वजह से निर्वाचिक की पहचान स्थापित करना संभव नहीं हो तो निर्वाचिक को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा।

4. प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
5. आदेश रिटर्निंग अधिकारियों और सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। इस आदेश की प्रादेशिक भाषा में अनूदित एक प्रति हर एक पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
6. आयोग का आदेश दिनांक 18 मई, 2018 राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाए। इस आदेश का सामान्य जनता एवं निर्वाचकों की जानकारी के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उक्त साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश से लिखित रूप में अवगत कराया जाए।
7. कृपया नोट करें कि प्रपत्र 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तंभ (3) में पहचान दस्तावेज के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एपिक और प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों के मामले में यह पर्याप्त होगा कि क्रमशः अधक्षर 'ईफी' (एपिक का सूचक) और 'वीएस' (फोटो मतदाता पर्ची का सूचक) का संगत स्तंभ में उल्लेख कर दिया जाए और एपिक या फोटो मतदाता पर्ची की संख्या लिखना आवश्यक नहीं है। हालांकि, जो लोग कोई वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करते हैं उनके मामले में दस्तावेज के अंतिम चार अंकों के लिखे जाने के अनुदेश लागू बने रहेंगे। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के प्रकार का भी उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए।
8. रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाएंगे कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को उसकी विषय-वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों में उपलब्ध हो।
9. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

ह./-
(लता त्रिपाठी)
अवर सचिव

भारत के राजपत्र में तथा महाराष्ट्र, नागार्लैंड, उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड, केरल, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्य के राजपत्र में प्रकाशनार्थी।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आई.डी./ईसीआई/पत्र/ प्रकार्या./विधिक/एसडीआर/खण्ड-II/2018

दिनांक- 18 मई, 2018

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं; तथा
2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिये गए हैं, निर्वाचक मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाएंगे होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यतः, निर्वाचिकों का रजिस्टरीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के अधीन निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचिकों को निर्वाचिक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा

6. यतः, महाराष्ट्र, नागलैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, केरल, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्य के निर्वाचिकों को काफी बड़ी संख्या में निर्वाचिक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा

7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह निदेश दिया है कि वर्तमान साधारण निर्वाचिनों के लिए मतदान की तिथि से पूर्व निर्वाचिकों को 'प्रमाणिकृत फोटो मतदाता पर्ची' बांटी जाएंगी

8. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि 03.05.2018 को अधिसूचित किए गए महाराष्ट्र में 11-भन्डारा-गोंदिया एवं 22-पालघर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 285-पलुस कडेगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागलैंड में नागलैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 24-नूरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार में 50-जोकिहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 34-गोमिया एवं 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 110-चेनगान्हूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मेघालय में 53-आमपाती (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में 32-शाहकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखण्ड में 05-थराली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 155-महेशटाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान उप निर्वाचिनों के लिए सभी निर्वाचिक जिन्हें निर्वाचिक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचिक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचिक जो अपना निर्वाचिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

- (i) पासपोर्ट;
- (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
- (iii) राज्य / केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,
- (iv) बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,
- (v) पैन कार्ड,
- (vi) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
- (vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
- (viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- (ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- (x) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिकृत फोटो मतदाता पर्ची, और
- (xi) सांसदों, विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
- (xii) आधार कार्ड

9. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए वशर्ते निर्वाचिक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचिक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अॅफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे वशर्ते उस निर्वाचिक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचिक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचिक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचिक को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचिकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचिक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,

ह/-
(एन.टी. बुटिया)
सचिव